राजस्व वाद 276/2021
जीसीएमएस नंबर–2021/...............
लिखमाराम बनाम् मनीराम वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादीगण–

राजस्व वाद संख्या : 276/2021

1. लिखमाराम पुत्र जोगाराम
2. लिछमणराम पुत्र जोगाराम
3. श्रवणराम पुत्र जोगाराम

जाति– मेघवाल, निवासी– डिडिया कलां, तहसील–जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. मनीराम पुत्र जोगाराम
2. कमला पुत्री जोगाराम
3. भीदू देवी पुत्री जोगाराम
4. झमकु देवी पत्नी जोगाराम

जातियान– मेघवाल, निवासीगण– डिडिया कलां, तहसील–जायल।

5. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री इन्द्रसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 22/6/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा डिडिया कलां तहसील जायल में खेत खसरा नं. 520/819 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नंबर 571 रकबा 0.8337 हैक्टेयर, खसरा नंबर 756 रकबा 0.5342 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत् कुछ वर्षो पूर्व वाद के पैरा संख्या 2 एवं 5 के अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी लिखमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डिडिया कलां का खेत खसरा नंबर 571 रकबा 0.8337 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। वादी लिछमणराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डिडिया कलां का खेत खसरा नंबर 520/819 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में से 1/2 पूर्वी भाग रखा गया है। वादी श्रवणराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डिडिया कलां का खेत खसरा नंबर 520/819 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में से 1/2 पश्चिमी भाग रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 मनीराम के हक बंट

22/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

कब्जा काश्त में मौजा डिडिया कलां का खेत खसरा नंबर 756 रकबा 0.5342 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने जरिये अधिवक्ता एवं स्वंय उपस्थिति के साथ ईकबालिया जबाब पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी ने की तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की पहचान अधिवक्ता श्री इन्द्रसिंह राठौड़ ने की। ईकबालिया जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 स्वयं से राजपैरोकार के रूप में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है जिन्होने राजहित सुरक्षित रखते हुवे वाद के मिसल में अनापति जाहिर की है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबालिया जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 5 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह लिखमाराम पुत्र जोगाराम, मनीराम पुत्र जोगाराम के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम डिडिया कलां तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 111 प्रदर्श–1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबालिया जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबालिया जबाब में वर्णित पैराज एवं माफिक नजरीनक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबालिया जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबालिया जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबालिया जबाब दिनांक 13.12.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के द्वारा प्रस्तुत ईकबालिया जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने

22/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा नजरीनक्शानुसार अंकित गया है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबालिया जबाब दिनांक 13.12.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा डिडिया कलां के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नंबर खेत खसरा नंबर 571 की खातेदारी वादी लिखमाराम, खेत खसरा नंबर 756 सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 मनीराम के हक बंट में तथा खसरा नंबर 520/819 की खातेदारी वादी लिछमणराम व श्रवणराम के हक बंट में चाही गई है जो कि पूर्ण रूपेन से विभाजित नहीं हैं। अतः खसरा नंबर 520/819 की भूमि पूर्ण विभाजेन नहीं होने तथा तथा पक्षकारान् द्वारा हिस्से विशेष का बंट चाहे जाने से हक वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर दिनांक 14.12.2021 को प्राथमिक डिकी के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 14.12.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 2258 दिनांक 11.3.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी लिखमाराम, लिछमणराम, श्रवणराम, मनीराम, कमला भीदू देवी ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान हरजीराम व सोहनलाल तथा भू.अभि.निरीक्षक रोल की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के नाम मुतदाविया खेतायों मे से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होने से प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा कराया जाना न्याय संगत है। अतः मौजा डिडिया कलां तहसील जायल खाता संख्या 111 के खेत खसरा नं. 520/819 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नंबर 571 रकबा 0.8337 हैक्टेयर, खसरा नंबर 756 रकबा 0.5342 हैक्टेयर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को को सहखातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 276/2021
जीसीएमएस नंबर–2021/................
लिखमाराम बनाम् मनीराम वगैरह

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा डिडिया कलां तहसील जायल खाता संख्या 111 के खेत खसरा नं. 520/819 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नंबर 571 रकबा 0.8337 हैक्टेयर, खसरा नंबर 756 रकबा 0.5342 हैक्टेयर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को को सहखातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी लिखमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डिडिया कलां का खेत खसरा नंबर 571 रकबा 0.8337 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
2. वादी लिछमणराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डिडिया कलां का खेत खसरा नंबर 520/819 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में से 0.8337 हैक्टेयर पूर्वी भाग रखा गया है।
3. वादी श्रवणराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डिडिया कलां का खेत खसरा नंबर 520/819 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में से 0.8093 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 मनीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डिडिया कलां का खेत खसरा नंबर 756 रकबा 0.5342 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प डयूटी जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
7. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। **(रहन होने पर)।**

निर्णय आज दिनांक 22/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

22/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 276/2021
जीसीएमएस नंबर–2021/................
लिखमाराम बनाम् मनीराम वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादीगण–

1. लिखमाराम पुत्र जोगाराम
2. लिछमणराम पुत्र जोगाराम
3. श्रवणराम पुत्र जोगाराम, **जाति– मेघवाल, निवासी– डिडिया कलां, तहसील–जायल।**

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. मनीराम पुत्र जोगाराम
2. कमला पुत्री जोगाराम
3. भीदू देवी पुत्री जोगाराम
4. झमकु देवी पत्नी जोगाराम, **जातियान– मेघवाल, निवासीगण– डिडिया कलां, तहसील–जायल।**
5. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री इन्द्रसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रसिंह राठौड़ व प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाकर – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी व बटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा डिडिया कलां तहसील जायल खाता संख्या 111 के खेत खसरा नं. 520/819 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नंबर 571 रकबा 0.8337 हैक्टेयर, खसरा नंबर 756 रकबा 0.5342 हैक्टेयर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को को सहखातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी लिखमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डिडिया कलां का खेत खसरा नंबर 571 रकबा 0.8337 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
2. वादी लिछमणराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डिडिया कलां का खेत खसरा नंबर 520/819 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में से 0.8337 हैक्टेयर पूर्वी भाग रखा गया है।

22/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

3. वादी श्रवणराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डिडिया कलां का खेत खसरा नंबर 520/819 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में से 0.8093 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 मनीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डिडिया कलां का खेत खसरा नंबर 756 रकबा 0.5342 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प डयूटी जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
7. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। **(रहन होने पर)।**

निर्णय आज दिनांक 22/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

22/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/6/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

22/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 10/03/2022 10:22:25 AM

जिला : नागौर

तहसील : जायल

भू. अ. नि. क्षेत्र : रोल

पटवारी हल्का : डिडियाकलां

ग्राम : डिडियाकलां

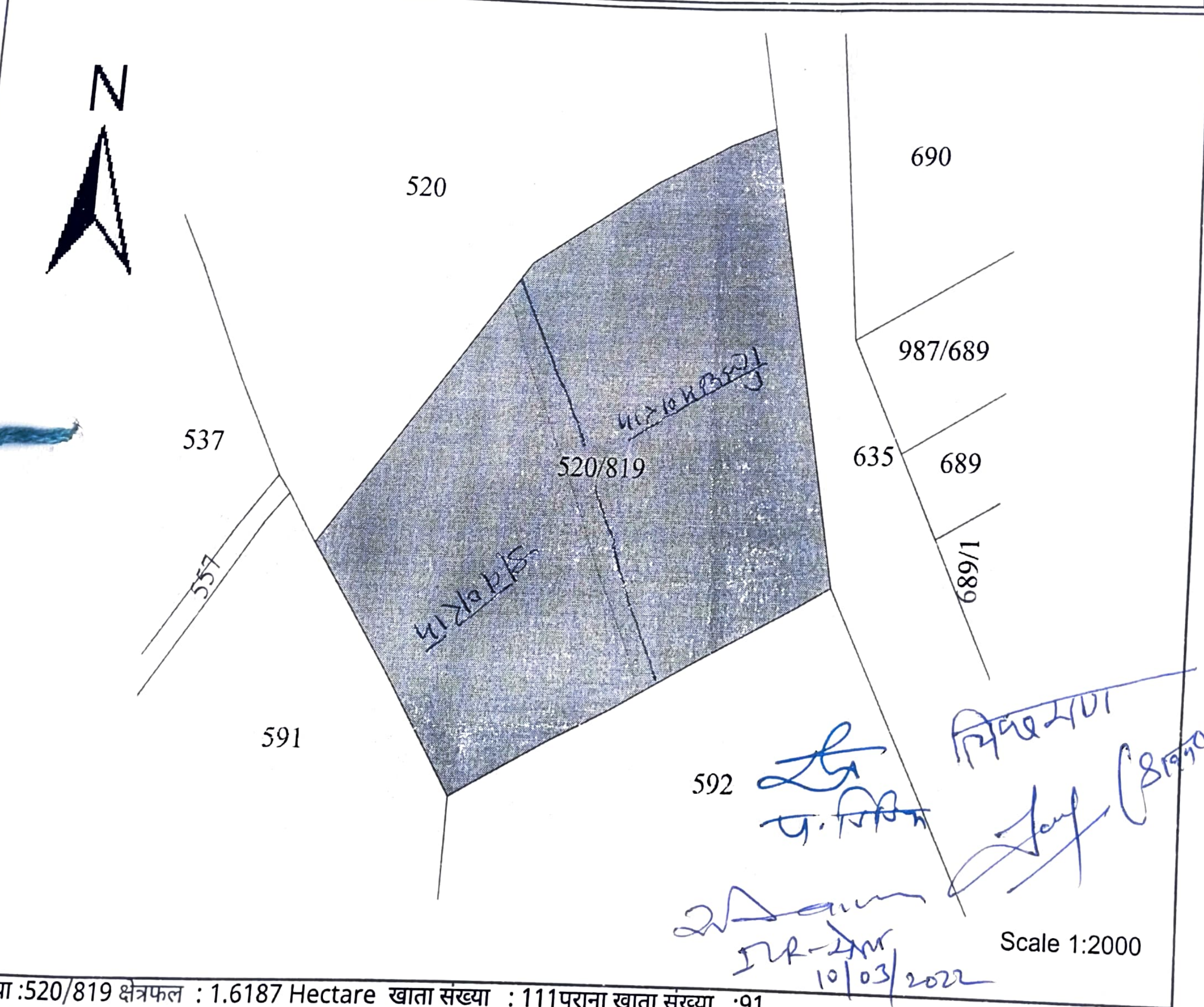

ा संख्या :520/819 क्षेत्रफल : 1.6187 Hectare खाता संख्या : 111पुराना खाता संख्या :91

किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी 4 [1.6187, 2.99]

ोगाराम पत्र ...ाराम हिस्सा- पूर्ण जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

१. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में रांपर्क करें। ULPIN no : null

तहसीलदार (भू.अ.)
जायल